[1][धारा 41 : इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत् उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ प्रतिलोम रहेगा :

परन्तु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत् संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त प्रतिलोम जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।**]**

उपयुक्त नियमः

नियम 37क,

नियम 41क

उपयुक्त प्रारूपः

प्रारूप जीएसटी आईटीसी–02क

---

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा धारा 41 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

''धारा 41 : इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए अपनी विवरणी में यथा स्वःनिर्धारित पात्र इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्यय का उपयोग केवल, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्वःनिर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।''